न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बालापुरा तहसील फुलियाकलां

प्रकरण संख्या – 105/2021

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

<u>उनवान</u>

1 ऋषिराज पिता सोनाथ धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 मु.गुमानी पुत्री सोनाथ धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 मु.गोपाली पत्नि सोनाथ धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
4 मु.रामकन्या पुत्री सोनाथ धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
5 रामप्रसाद पिता मोती धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
6 रामस्वरूप पुत्री मोती धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
7 विनोद पिता सोनाथ धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
8 सवाईराम पिता देवा धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
9 मु.सीता पुत्री सोनाथ धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
10 जगदीश पिता बैनाथ धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
11 रामरतन पिता बैनाथ धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
12 मु.सुगनी पुत्री बैनाथ धाकड उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

---------(प्रार्थीगण)

वनाम

1 रामकिशन पिता देवा गुर्जर उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
2 रतन पिता कजोड गुर्जर उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा
3 लाला पिता कजोड गुर्जर उम्र वयस्क निवासी आमली वारेठ तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाडा

--------(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता– श्री शिवराज कुमावत

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक – 20.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 29.08.2021 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम आमली बारेठ पटवार मण्डल बालापुरा भू.अ.नि. बांसेडा तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 354 के **आ.न. 1774, 1788 किता 2 रकबा 0.81 हैक्टयर, भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 01.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण अपना पक्ष रखने, हाजिर नही आये। इसी दौरान प्रकरण को प्रशासन गावों के संग 2021 अभियान शिविर मुकाम बालापुरा दिनांक 20.10.2021 के लिए पंजीवद्ध किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस [illegible] पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। [illegible] के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्र[illegible] [illegible]धिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य [illegible] होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.11.29 11:40:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां (भील.)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम आमली बारेठ पटवार गण्डल बालापुरा भू.अ.नि. बांसेडा तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 354 के **आ.न. 1774, 1788 किता 2 रकबा 0.81 हैक्टयर,** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक बांसेडा को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बावत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajkesh Meena
Date: 2021.11.29 11:10:30 IST
Reason: SelfAttested